

## कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 11.01.2021

### शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-33 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

### अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:

#### 01. थाना छपिया द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. रग्घू राजभर पुत्र बाबू राम राजभर नि० वेजहरिया थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-12/21, 02. मन्तराम पुत्र स्व० राम प्यारे नि० नगरा खुर्द थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-13/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

#### 02. थाना तरबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. ओम प्रकाश पुत्र गोपीराम नि० मोहनपुर टेपरा थाना तरबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-5/21, 02. राजू पुत्र स्व० रामदीन नि० शिवाला ढोढेपुर थाना तरबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-6/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

#### 03. थाना इटियाथोक द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. गंगा राम पुत्र स्व० फूलचन्द्र नि० गोपालपुर चौबे थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-9/21, 02. निवरे पुत्र स्व० राम सूरत नि० विलन पुरवा पूरे मुसद्दी थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-10/21, 03. ओंकर नाथ पुत्र नकछेद नि० कुलमन पुरवा थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-11/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

#### 04. थाना को० देहात द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. रमेश उर्फ भूजे पुत्र वंशराज सोनकर नि० लीला बभनी थाना को० देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-18/21, 02. वरसाती पुत्र धरखन नि० महदेइया थाना को० देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-19/21, 03. केश नाथ पुत्र गूठे नि० महदेइया थाना को० देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-20/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

#### 05. थाना खरगूपुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. ननकू पुत्र लोक नाथ नि० पचरन थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-08/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभि० पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

### **05. थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. यशवन्त पासवान पुत्र वासुदेव पासवान नि० सेमराशेखपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा व कालिका पुत्र छट्ठी लाल नि० घांचा थाना तरबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-15/21, 02. अनिल निषाद पुत्र भगौती नि० दुल्लापुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-16/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

### **06. थाना कटराबाजार द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. गोविन्द पुत्र अनोखे राम नि० रूकम मठपुर मौजा भैंसहा थाना कौड़िया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-12/21, 02. सुबेदार पुत्र प्रेमदास नि० रामापुर थाना कौड़िया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-13/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

### **07. थाना करनैलगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. रामनरेश पुत्र गोलही नि० फत्तेपुर थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-8/21, 02. जुगुनू पुत्र सम्भर नि० नकहरा थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-9/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

### **दहेज प्रताड़ना के 02 आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार—**

गोण्डा। सोमवार जनपद गोण्डा के थाना खरगूपुर पुलिस ने दहेज प्रताड़ना के 02 आरोपी अभियुक्तों—01. प्रदीप कुमार पुत्र ओमनाथ यादव नि० कमड़ावा थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा, 02. विश्वनाथ यादव पुत्र नामू यादव नि० पचरूखी मनोहरजोत थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा को थाना खरगूपुर में पंजीकृत मु०अ०सं०-07/21, धारा 323.504.498ए भादवि व 3/4 डी०पी० एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्तगणों ने दिनांक 10.01.2021 को वादी रामतीरथ पुत्र छबिलाल यादव नि० सालपुर सेमरा थाना को० देहात जनपद गोण्डा की लड़की रंजना को दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करते हुए मारा—पीटा था। जिसके सम्बन्ध में पीड़िता के पिता द्वारा थाना खरगूपुर में उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें खरगूपुर पुलिस ने तत्काल कार्यवाही करते हुए उक्त आरोपी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

### **आत्महत्या के लिये प्रेरित करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार—**

गोण्डा। सोमवार जनपद गोण्डा के थाना मनकापुर पुलिस ने आत्महत्या के लिये प्रेरित करने के आरोपी अभियुक्त— रामगोपाल पुत्र यदुवंश नि० पुरविहनपुरवा मछली गांव थाना को० मनकापुर जनपद गोण्डा को थाना मनकापुर में पंजीकृत मु०अ०सं०-07/21, धारा 306 भादवि० के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्त ने वादी शेषनाथ पुत्र छतरधारी नि० कुरीलपुर डमौरा सफदरगंज जनपद बाराबंकी की लड़की अर्चना देवी के साथ अभद्रता/प्रताड़ित करते हुए आत्महत्या के लिये प्रेरित किया था। जिससे वादी की पुत्री प्रताड़ना से तंग आकर दिनांक 09.01.21 को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। जिसके संबंध में वादी द्वारा थाना मनकापुर में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें मनकापुर पुलिस ने तत्काल कार्यवाही करते हुए उक्त आरोपी अभियुक्त को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

## अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार—

### गिरफ्तार अभियुक्त—

01. रमेश कुमार पाण्डेय पुत्र हौसिला प्रसाद पाण्डेय नि0 निबिहा मौजा महापारा थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

### पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0-09/21, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

### बरामदगी—

01. 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर।

### संक्षिप्त विवरण—

आज दिनांक 11.01.2021 को थाना कौड़िया के उ0नि0 अंकुर वर्मा मय हमराह के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर उक्त अभियुक्त को नहर पटरी के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कौड़िया में अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

### गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ0नि0 अंकुर वर्मा।
02. हेड का0 नीरज तिवारी।
03. का0 यशवन्तराव।

## बलवा करने के आरोप में 03 अभियुक्त गिरफ्तार—

### गिरफ्तार अभियुक्तगण—

01. असलम खॉ पुत्र रफीक नि0 खेमपुर कोड़री थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।
02. फरीद खॉ पुत्र अफजल खॉ नि0 खेमपुर कोड़री थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।
03. अकरम खॉ पुत्र छेदन खॉ नि0 खेमपुर कोड़री थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

### पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0-8/21, धारा 147.323.504.506.452.427 भादवि थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

### संक्षिप्त विवरण—

उक्त अभियुक्तगणों ने जमीनी विवाद के चलते एक राय होकर वादिनी जीनत खातून पत्नी स्व0 नियाज मोहम्मद नि0 खेमपुर कोड़री थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा को गाली-गुप्ता देते हुए घर में घुसकर मारा-पीटा था तथा वादिनी के मड़हा को तोड़ दिया था। जिसके सम्बन्ध में वादिनी द्वारा थाना कटराबाजार में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें कटराबाजार पुलिस ने कार्यवाही करते हुए उक्त आरोपी अभियुक्तों को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।